सलग्नक - 1

प्रेषक,

निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0,
निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः म0भो0प्रा0/55-43-5612 /2007-08 दिनांक 25 जुलाई, 2007

विषयः मध्यान्ह भोजन योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 1.94 करोड़ बच्चों को प्रतिदिन पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना एक अत्यन्त संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण योजना है। शैक्षिक सत्र 2007-08 माह जुलाई से प्रारम्भ हो गया है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों, ई0जी0एस0, ए0आई0ई0 केन्द्रों, मदरसों एवं समाज कल्याण विभाग से अनुदानित विद्यालयों के विद्यार्थियों को पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के संचालन का दायित्व ग्राम प्रधानों तथा शहरी क्षेत्रों में सभासदों/स्वयं सेवी संस्थाओं को सौंपा गया है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा मानकों में परिवर्तन करते हुए यह भी निर्धारित किया गया है कि उपलब्ध कराये जा रहे भोजन में कम से कम 450 कैलोरी ऊर्जा व 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध हो। प्रत्येक छात्र को भोजन उपलब्ध कराने हेतु 100 ग्राम गेहूँ/चावल प्रति छात्र प्रति दिन तथा उससे भोजन बनाने हेतु परिवर्तन लागत दिनांक 15 अगस्त, 2006 से रू0 2/- प्रति छात्र प्रति दिन उपलब्ध कराया जाता है। आपके जनपद के मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में योजना का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जा सके, इस हेतु आपका कुछ बिन्दुओं पर ध्यान देना समीचीन होगा, जो कि निम्नवत् है:-

1. नवीन मेनू को विद्यालय की दीवार पर पेन्ट करा दें तथा S.D.M., B.S.A., B.D.O., A.B.S.A. के फोन नम्बर/मोबाइल नम्बर अंकित करा दें।
2. ग्रामनिधि खाता- V, खुलवाने हेतु जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक आयोजित कर ली जाय एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाय कि ब्लाक स्तरीय बी.डी.ओ. की बैठक में भी प्रतिभाग कर उक्त खाते को खुलवाने के लिए प्रयास किए जाय।
3. मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली साप्ताहिक बैठक जिसमें जिला पंचायत राज अधिकारी एवं बी.डी.ओ. उपस्थित रहते है। उस बैठक में बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं प्रतिभाग करें।

P.C. Attested

4. प्रायः परिवर्तन लागत की धनराशि बैंक में अनावश्यक रूप से मैनेजरों द्वारा होल्ड कर दी जाती है। ससमय खातों से स्थानान्तरित करा लिया जाए।

5. जनपद स्तर पर योजना का लेखा-जोखा वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा अवश्य रखा जाए।

6. विद्यालयों में योजनान्तर्गत खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत सम्बन्धित शासन द्वारा निर्गत प्रपत्र I, II एवं III पर ही अभिलेखों का रख-रखाव कराया जाए।

7. योजना के मॉनीटरिंग हेतु प्रेषित धनराशि के सापेक्ष कम्प्यूटर क्रय कर लिया जाए।

8. विद्यालयों में 200 से अधिक बच्चों पर रसोइए के साथ एक हेल्पर रखा जाए। रसोइयों का बैंक में खाता खुलवाकर उनके मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से कराया जाए।

9. प्रधानाध्यापकों एवं रसोइयों का प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर कराया जाए।

10. F.C.I. से खाद्यान्न प्रत्येक दशा में कोटेदार तक *खाद्यान्न उपभोग के माह के पिछले माह की 30 तारीख तक* पहुंच जाए, इस हेतु तत्काल जिला प्रबन्धक, F.C.I., D.S.O., जिला खाद्य प्रबन्धक अधिकारी / जिला प्रबन्धक, आवश्यक वस्तु निगम की संयुक्त बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कर ली जाए तथा समय-समय पर बैठक कर समीक्षा की जाए।

11. F.C.I. से प्राप्त खाद्यान्न का सैम्पल बी0एस0ए0 एवं बी0आर0सी0 कार्यालय पर रखा जाए। सैम्पल से मिलान खाद्यान्न उठान के वक्त अवश्य कराये जाएं। 'A' ग्रेड का चावल तथा अच्छी गुणवत्ता का गेहूँ की पहचान S.M.I. से करा ली जाए।

12. प्रत्येक विद्यालयों में 'Essential Medicine Kit' (Burnol, ORS Packet आदि) CMO के माध्यम से उपलब्ध कराया जाय।

13. प्रत्येक विद्यालय में 'Weighing Machine' तथा 'Height Measurement' की व्यवस्था की जाए तथा Height एवं Weight Chart CMO से प्राप्त कर विद्यालयों की दीवारों पर अंकित करायी जाय।

14. प्रत्येक विद्यालय में एक बड़े आकार का शीशा दीवार पर लगा दें तथा कम से कम चार नेल कटर, कंघी, तौलिया एवं साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाय। जिससे कि बच्चे साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दे सकें।

15. N.G.O. द्वारा संचालित क्षेत्रों में खाना बाहकों को फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाए।

16. योजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर गठित समिति (14 सदस्य), जिसके जिलाधिकारी अध्यक्ष हैं एवं विकास खण्ड स्तर पर गठित समिति (8 सदस्य), जिसके S.D.M. अध्यक्ष हैं, टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसके सदस्यों द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम 5 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है। प्रत्येक माह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक करायी जाय।

CMO

DPRO

R.C. Attested

a. जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कुल निरीक्षित विद्यालय = 14 X 5 = 70

b. प्रति ब्लॉक स्तारीय टास्क फोर्स द्वारा कुल निरीक्षित विद्यालय = 8 X 5 = 40

c. प्रत्येक माह में जिला एवं एक ब्लॉक की टास्क फोर्स द्वारा कुल निरीक्षित विद्यालय = **70 + (40 * 5) = 270** (यदि 5 ब्लॉक हैं तो)

17. योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित प्रगति विवरण, जिसमें व्यय विवरण भी शामिल है, हेतु त्रैमासिक प्रगति आख्या (Q.P.R.) के 5 प्रपत्र जारी किये गए हैं। इन प्रारूपों पर वित्तीय वर्ष के हर त्रैमास की सूचना दिनांक 07 जुलाई, 07 अक्टूबर, 07 जनवरी व 07 अप्रैल तक प्राधिकरण को भेजा जाना अनिवार्य है, इसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए एवं संलग्न प्रारूप की सूचना सी.डी. एवं हार्ड कापी में 05 अगस्त, 2007 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

P.C. Attend

भवदीय

(संतोष कुमार यादव)
निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ